संख्या-158/2022/1560/22-2-2022-17(473)/22

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 सितम्बर, 2022

विषय:-नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी ओमवती देवी पत्नी जयप्रकाश, निवासी जनपद-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17272 /प्रोबे0-5-दया0 बैठक-17-05-2022 दिनांक 28.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी ओमवती देवी पत्नी जयप्रकाश, जो राजीव नगर, थाना-ताजगंज, जनपद-आगरा की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 16.02.2012 को अपने बेटे धर्मेन्द के साथ मिलकर पुत्रवधु को जलाकर हत्या कारित की गयी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-441/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04, आगरा के आदेश दिनांक 21.01.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने की सम्भावना होने के दृष्टिगत जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, समयपूर्व रिहाई उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने महिला बंदी की आयु 56 वर्ष होने आजीवन कारावास के सापेक्ष अपरिहार 09 वर्ष 10 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष 03 माह, 19 दिन की भोगी गयी सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा समयपूर्व रिहाई न किए जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी ओमवती देवी (बन्दी संख्या-2398) पत्नी जयप्रकाश, निवासी जनपद-आगरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-158/2022/1560(1)/22-2-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।
2- अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।